न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – **राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)**

राजस्व प्रकरण संख्या : – **78/2017**

उनवान

1. गणपत पुत्र नंगा (फौत)
1/1. नानू सिंह पुत्र गणपत सिंह
1/2. हीरा सिंह पुत्र गणपत सिंह
1/3. शैतान सिंह उर्फ कूका पुत्र गणपत सिंह
1/4. फूल सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति रावत निवासी ग्राम अंसरी, नसीराबाद
2. मंगला पुत्र नंगा
3. घीसा पुत्र पन्ना
4. सोहनी देवी पत्नी पन्ना सिंह
5. लाल सिंह पुत्र पन्ना सिंह
6. प्रेम देवी पुत्री पन्ना सिंह
7. शान्तिदेवी पुत्री पन्ना सिंह समस्त जाति रावत नि0 ग्राम अंसरी, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छोटी पत्नी मेवा पुत्र हरजी
2. श्रवण
3. भागचन्द
4. सांवरा
5. रतन पि0 मेवा पुत्र हरजी
6. रतनी पुत्री मेवा पुत्र हरजी
7. मीठू
8. जीवराज
9. ओमा पि0 बिरदा पुत्र हरजी
10. छोटू पुत्र माधो पुत्र हरजी
11. प्रहलाद पुत्र माधो पुत्र हरजी
12. रूकमा पुत्री माधो पुत्र हरजी
13. गलकू पत्नी माधो पुत्र हरजी
14. फूफी पत्नी रामदेव पुत्र माधो
15. माना पुत्र रामदेव पुत्र माधो समस्त जाति गुर्जर नि0 ग्राम ब्रिक्चियावास, तह0 पीसांगन
16. उप पंजीयक नसीराबाद
17. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 15 अनुपस्थित
16 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 व धारा 136 भसू राज0 अधि0 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:11 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.21

वादीगण ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असंरी की स्थित आराजी वादीगण की कयशुदा है :–

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख0न0	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
664	778/1	17–14–10	877	0.35
660	778/2	2–3–0	877/1436	0.06
665			878	0.38
670			879	0.36
666			880	0.29
667			876	0.49
668			875	0.64
669			874	0.06
			873	0.20
			872 मिन	0.04
	783	34–1–10	854	0.46
			855	0.42
			856	0.69
			857	1.30
			858	1.22
			859	0.40
			860	0.16
			861	0.16
			869	0.34
			870	0.30
			871	0.05
			872 मिन	0.02

उक्त आराजी में से वंर्किग खसरा नम्बर 778 रकबा 17–14–0, 783 रकबा 24–1–10 वादीगण गणपतलाल व मंगलाराम पि0 नंगाराम जाति रावत ने दिनांक 28.11.79 को खतेदार मेवा व बिरदा पि0 हरजी से क्रय किया था। खतेदार मेवा व बिरदा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 9 है तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 15 को खातेदार हीरा, मादू, पूसा पि0 चतरा के वारिस होने से पक्षकार बनाया है। क्रेतागण उक्त आराजी पर क्रय दिनांक से काबिज चले आ रहे है। वादी संख्या 3 से 7 के पति/पिता ने दिनांक 24.11.75 को उक्त आराजी में लाला पुत्र हजारी व रामदेव पुत्र मादू से वंर्किग खसरा नम्बर 778 व 783 में से 7–10–0 रकबा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आराजी मुतनाजा को हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। जिस कारण प्रतिवदीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। अतः दिनांक 28.11.79 को निष्पादित कराये गये विक्रय पत्र के अनुसार हाल खसरा नम्बर 877/0.35, 879/0.36, 870/0.30, 877/436 रकबा 0.06 व दिनांक 24.11.75 कारे निष्पादित कराये गये विक्रय पत्र के अनुसार हाल खसरा नम्बर 661/0.16, 860/0.16, 869/0.34, 871/0.05, 778/0.38, 872/0.06 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। वाद विचारण के दौरान वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पेश कर नवीन पक्षकार मुर्तिब किये व वाद में संशोधन भी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी गण ने वाद के समर्थन में मंगला का शपथ पत्र पेश किया व राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये।

राज0 पैरोकार ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:11 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया विद्व अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया।

आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 778 रकबा 15–11–10 व 783 रकबा 34–1–10 नामानतकरण संख्या 124 दिनांक 05.04.2003 को हीरा, माधु, पूसा पि0 चतरा के नाम नियमन दर्ज हुयी। जिसका अमल दरामद भी वंर्किग जमाबंदी में हीरा, माधु, पूसा पि0 चतरा के नाम किया गया। वादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

प्रकरण में दो अलग–अलग विक्रय पत्र पेश किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दिनांक 28.11.79 के विक्रय पत्र अनुसार मेंवा व बिरदा पि0 हरजी ने मंगला व गणपत पि0 नंगा को वंर्किग खसरा नम्बर 778 रकबा 17–14–10 व 783 रकबा 34–1–10 कुल 41–16–0 में से 6–0–0 भूमि का बैचान व दिनांक 24.11.75 के विक्रय पत्र के अनुसार लाला पुत्र हजारी व रामदेव पुत्र मादू ने पन्ना पुत्र भीया को वंर्किग खसरा नम्बर 778 व 783 में से 7–10–0 भूमि का बैचान किया है किन्तु दोनो विक्रय पत्र में जो विक्रेता अंकित है उनके नाम वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा खातेदारी दर्ज नही है। वंर्किग जमाबंदी में दर्ज खातेदार/वारिसान द्वारा उक्त आराजी का विक्रय नही किया गया है। चौसाला जमाबंदी में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में भी उक्त आराजी सिवायचक दर्ज थी जो नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 05.04.2003 द्वारा खातेदारी दर्ज हुयी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र खातेदारी दर्ज होने से पहले के है। अर्थात विक्रय दिनांक को आराजी मुतनाजा सिवायचक खाते में दर्ज थी। साथ ही वादीगण द्वारा जो विक्रय पत्र पेश किये है उसके अनुसार उनके द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 778 व 783 का पूर्ण रकबा व हिस्सा क्रय नही करके आंशिक रकबा क्रय किया है वंर्किग खसरा नम्बर 778 व 783 के हाल राजस्व अभिलेख में कई खसरा नम्बर बने है। वादीगण ने विशेष खसरा नम्बर पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है। किन्तु वादीगण उक्त विशेष खसरा नम्बर पर अपने कब्जे के समर्थन में ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व जमाबंदी का मिलान नही होने के कारण ही विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही की जा सकती है। वादीगण अपने वाद के तथ्यों को सिद्व, करने में असफल रहे है।

उक्तानुसार ग्राम अन्सरी की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गणपत बनाम छोटी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 78 / 2017
पेश करने की दिनांक – 05.05.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम अन्सरी की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 3 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:11 IST
Reason: SelfAttested